न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2018/00088

शांतिलाल आत्मज मोडूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम मेहंदी तहसील दीगोद जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार दीगोद

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांक 14.05.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 322/2009 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 116 की 1.47 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि पर वादी व उसके पिता का कब्जा पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा था। वादी के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी हमेशा उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वादी गरीब काश्तकार होने के कारण व अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण उक्त भूमि वादी को नियमानुसार दिनांक 23–6–89 को आवंटन हो गयी। वादी गरीब परिवार का सदस्य होने के कारण उक्त आवंटन की राशि वादी समय पर जमा नहीं कर सका। इस कारण उपरोक्त भूमि का आवंटन निरस्त हो गया किन्तु वादी का कब्जा बदस्तूर लगातार निर्वाध रूप से आज तक चला आ रहा है। वादी उक्त आवंटन की राशि जमा कराने को तैयार है तथा वादी का उपरोक्त भूमि पर 50 वर्षों से कब्जा काश्त होने के आधार पर वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार हो गया है तथा वादी को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी के अधिकारियों ने राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 1.47 हेक्टर नहरी प्रथम दर्ज कर चालू

गई बाद आवंटन अपीलांट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई तथा अपीलांट कब्जा

पडत जुताई हेतु राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज करदी। बल्कि वादी का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा प्रतिवादी वादी को उक्त भूमि से बैदखल करने पर आमादा है। जिसका कि प्रतिवादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि वादी की आजीविका का एक मात्र साधन है यदि उपरोक्त भूमि से वादी को बैदखल कर दिया तो इससे वादी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे –(1). कि वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 116 की 1.47 हेक्टर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। तथा उक्त भूमि वादी के खाते दर्ज की जावे। (2). कि प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे। (3). कि स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी वादी को ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 116 की 1.47 हेक्टर भूमि अथवा उसके किसी भी भाग से बैदखल नहीं करे ओर न कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2017 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना व जानकारी के

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

गई बाद आवंटन अपीलांट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई तथा अपीलांट द्वारा

आदेश प्रदान किया जिसकी जानकारी सर्वप्रथम वकील साहब से दिनांक 15.12.2017 को मिलने पर हुई, जिस पर तुरन्त नकल का प्रार्थना–पत्र लगाकर दिनांक 20.12.2017 को नकल प्राप्त की। तत्पश्चात बीमार हो जाने से वकील साहब से मिलकर अपील नहीं करवा सका। दिनांक 27.01.2018 को मिलने पर नकल लेकर पैसो की व्यवस्था कर अपील पेश है। न्यायहित में दिनांक 06.06.2017 से दिनांक 15.12.2017 तक की अवधि कन्डोन फरमाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी गरीब ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विलम्ब को कण्डोन फरमाया जाकर अपील अवधि मध्य होने की आज्ञा फरमाई जावे।

7. अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने हेतु पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है। उक्त दस्तावेज अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज का प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय के दस्तावेज की प्रति है जिस पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 06–06–2017 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का वाद खारिज करने का आदेश एवं डिक्री प्रदान कर दी, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया की ग्राम मेंहंदी स्थित खसरा नम्बर 116 रकबा 1.47 हैक्टेयर आराजी अपीलांट को दिनांक 23–6–89 को आवंटन अधिकारी द्वारा कीमतन आवंटित की गई बाद आवंटन अपीलांट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई तथा अपीलांट द्वारा किश्त राशि भी जमा की गई उक्त तथ्य अपीलांट द्वारा साक्ष्य से साबित कर देने

के बावजूद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट हर समय आवंटन राशि जमा कराने हेतु तत्पर एवं तैयार रहा है। इस हेतु अनेक बार शिविर आदि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर कोई कार्यवाही करने पर तथा प्रतिवादी के न्यायालय के आदेश पर ही बकाया राशि जमा कर खातेदारी प्रदान करने की कहने पर अपीलांट द्वारा विधिक राय लेकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया उक्त वाद का गुणावगुण पर तनकियात कायम कर बिना साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना ही दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलांट भूमिहीन अनुसूचित जाति का सदस्य है। अपीलांट के पास उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी नहीं है अपीलांट एवं अपीलांट के परिवार का जीवन निर्वाह उक्त आराजी से प्राप्त आय पर ही निर्भर है। आज भी अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर दावा अपीलांट खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 निरस्त किए जाने तथा वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट स्वयं के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की अपीलांट को प्रारंभ से ही जानकारी रही हैं इसके बावजूद भी अपीलांट ने जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की हैं। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करने में असफल रहे है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद प्रमाणित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का निर्णय विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2017 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील एवं वाद सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयएवं डिक्री दिनांक 06.06.2017इयथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट का कथन

है कि प्रश्नगत निर्णय दिनांक 06.06.2017 लोक–अदालत के तहत अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है इस कारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2017 की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मेहंदी तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 116 रकबा 1.47 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। वादी अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 116 रकबा 1.47 हैक्टेयर भूमि वादी अपीलांट की आवंटनशुदा भूमि है। अपने कथन के समर्थन में वादी अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 23.06.1984 की फोटोप्रति पेश की गई है जिसके अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वादी अपीलांट की आवंटनशुदा भूमि होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.07.2014 में पत्रावली वास्ते जवाब सरकार नियत किए जाने का आदेश अंकित है तथा आगामी पेशी 20.08.2014 अंकित है। आदेशिका दिनांक 20.08.2024 से आदेश दिनांक 24.05.2017 तक प्रतिवादी सरकार की ओर से जवाबदावा पेश होने का अंकन नहीं है। दिनांक 24.05.2017 की आदेशिका में पत्रावली दिनांक 06.06.2017 को केम्प तोरण हेतु नियत किए जाने तथा पक्षकारान को नोटिस जारी किए जाने का आदेश अंकित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.05.2017 को तथा इससे पूर्व पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी सरकार नियत थी परन्तु दिनांक 06.06.2017 को पत्रावली के लोक अदालत में पेश किए जाने से पूर्व प्रतिवादी सरकार की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जवाबदावे पर दिनांक 06.06.2017 अंकित है अतः प्रतिवादी सरकार द्वारा लोक अदालत की दिनांक 06.06.2017 को ही जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.05.2017 में पक्षकारान को लोक अदालत की दिनांक 06.06.2017 के नोटिस जारी किए जाने का आदेश अंकित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में लोक–अदालत की दिनांक 06.06.2017 के नोटिस जारी किए जाने का अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लोक–अदालत की दिनांक 06.06.2017 के कोई नोटिस/सूचना–पत्र भी संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.05.2017 में किसी भी पक्षकार अथवा उनके अधिवक्ता की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निसानी भी अंकित नहीं है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के लोक–अदालत में रखे जाने के सम्बंध में अपीलांट को न तो कोई सूचना दी गई और न ही कोई सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र जारी किए गए। चूंकि अपीलांट को प्रश्नगत प्रकरण के लोक अदालत में रखे जाने की जानकारी नहीं थी अतः अपीलांट व अन्य पक्षकारान लोक–अदालत केम्प कोर्ट दिनांक 06.06.2014 को उपस्थित नहीं हो सके। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक–अदालत केम्प कोर्ट में उन्हीं प्रकरणो का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत होता है जिनमें सभी पक्षकारान की ओर से विधिक रूप से राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत होता

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हो। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में लोक–अदालत में न तो सभी पक्षकार उपस्थित थे और न ही सभी पक्षकारान की ओर से कोई राजीनामा/सहमतिनामा प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में उभयपक्षकारान की बिना सहमति व बिना राजीनामे के लोक–अदालत केम्प कोर्ट के तहत निर्णय पारित किया गया है जो लोक–अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण में विचारधीन थी तथा लोक–अदालत की दिनांक 06.06.2017 को ही जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपरिपक्व पत्रावली को उभयपक्षकारान की सहमति के बिना लोक–अदालत में नियत कर बिना राजीनामे के तथा अपीलांट को सुने बिना ही लोक–अदालत की भावना के विपरीत जाकर प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 322/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 30.06.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

13. निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/05/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा